संख्या-80 /2024/ 608 /001-608-2024-23-10002-002-14-2024

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 08 मई, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-57 राजस्व लेखा में अनुरक्षण कार्यों हेतु आय-व्ययक से प्राप्त धनराशि को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-397/आयोजनेत्तर बजट (पान्टून सेतु)/सेतु-6/2024-25 दिनांक 09.04.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 25 में अनुदान सं0-57 राजस्व लेखा में अनुरक्षण कार्यों हेतु आय-व्ययक से प्राप्त धनराशि को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अनुदान सं0-57, राजस्व मद के अंतर्गत निम्नलिखित अंकित तालिका के स्तम्भ-2 में नावों के पुल और नौघाट के अनुरक्षण हेतु रू0 40.00 करोड़ एवं पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु रू0 120.00 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रू0 160.00 करोड़ (रूपये एक अरब साठ करोड़ मात्र) निम्न विवरणानुसार/शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	योजना का नाम/15 अंकीय बजट कोड	वर्ष 2024-25 के बजट में प्राविधानित धनराशि	वर्ष 2024-25 में निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	नावों के पुल और नौघाट 3054-04-800-03-00-29	40.00	40.00
2	पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत 3054-04-800-04-00-29	120.00	120.00
	योग:-	**160.00**	**160.00**

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत धनराशि को प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 द्वारा एकमुश्त एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(2) प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सम्बन्धित नियमों, स्थायी आदेशों, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024-बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित समस्त शर्तों/अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त शासनादेश दिनांक 04 मार्च, 2024 के प्रस्तंर-3 में उल्लिखित निम्न व्यवस्था का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

'' धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।''

(4) केवल स्वीकृत योजनाओं/मदों पर व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कार्यान्वयन में नहीं किया जायेगा। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से व्यंय की गयी का धनराशि का मदवार विवरण सहित कृत कार्यवाही से शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व लोक सभा सामान्य निर्वाचन हेतु प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता में दिये गये प्राविधानों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 40,00,00,000 (रुपये चालीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 3054048000300 नावों के पुल और नौघाट **मानक मद** 29 अनुरक्षण (*2*) रुपये 1,20,00,00,000 (रुपये एक अरब बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 3054048000400 पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च,2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-80 /2024/608(1)/001-608-2024-23-10002-002-14-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

4- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-8 ।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2 ।

6- नियोजन अनुभाग-4 ।

7- लोक निर्माण अनुभाग-1 ।

8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।